29.10.24

29.10.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पत्रावली मे पुन: मजिद बहस सुनी गई, प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अ०धा० 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2013

1. श्रीमती कांताबाई विधवा पत्नी श्री शिवलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूं (आदेश दि 1.6.22 से नाम तर्क)
2. सुश्री ममता पुत्री स्व0 शिवललाल धाकड अव्यस्क द्वारा माता एवं संरक्षक
   श्रीमति कांताबाई धाकड निवासी चंदाखेडा तह0 बेगूं
3. सुश्री संजू पुत्री स्व0 शिवलाल धाकड अव्यस्क द्वारा माता एवं संरक्षक
   श्रीमति कांताबाई धाकड निवासी चंदाखेडा तह0 बेगूं
4. सुश्री पूजा पुत्री स्व0 शिवलाल धाकड अव्यस्क द्वारा माता एवं संरक्षक
   श्रीमति कांताबाई धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूं   वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री परथू जी आत्मज धन्ना जी जातिधाकड निवासी चंदाखेडी (आदेश दि. 1.6.22 से नाम तर्क)
   हा0मु0 रूपपुरा तह0 बेगूं
2. श्रीमती मांगीबाई पुत्री परथू जी जाति धाकड पत्नि श्री रामनारायण धाकड निवासी रूपपुरा
   तहसील बेगूं   प्रतिवादीगण/विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता विपक्षीगण   आदेश दिनांक :– 29.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगगण द्वारा इसी अनुवान का एक वाद न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित तथ्यो एवं रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस पूर्णतया प्रमाणित है।

कि प्राथ्रीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 के ससुर एवं प्रार्थी संख्या 2,3 व 4 के दादा है एवं विपक्षी संख्या 2 प्रार्थी सं0 1 की ननद व प्रार्थी संख 3,4 की भुवा हैं प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2,3,4 के पिता श्री शिवलाल जी का स्वगर्बवास लगभग डेढ वर्ष पूर्व हो गया है।

ग्राम चंदाखेडी प0ह0 शादी में निम्न आराजीयात स्थित है जो पक्षकारान के पूर्वजो के समय से चली आ रही है। और विपक्षी संख्या 1 परिवार के मुखिया होने से रेकार्डग में उनके नाम अंकित चली आ रही हैं।

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
129	0.0970
134	0.6550
137	0.0490
220	0.3080
240	0.1210
263	0.0810
403	0.2350
415	0.3240
416	0.2190
456	0.4530
517	0.1050
518	0.5260
550	0.1050
551	0.0160
588	0.0080
590	0.0080
819	0.4680
968/776	0.2270

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

— 18 3.4150 हैक्टर

यह कि विपक्षी संख्या 2 विवाहित होकर अपने ससुराल में रहती है एवं प्रार्थीगण एवं विवपक्षी संख्या 1 चंदाखेडी मे ही निवासी करते चले आ रहे है और आराजयीात की देखरेख प्रार्थी सं0 1 ही लगभग 4 साल से शिवलाल के बीमार होने के समय से ही करती चली आ रही है, क्यो कि विपक्षी संख्या 1 भी वयोवृद्ध होकर काम करने में असामर्थ है।

यह कि लगभग 10 माह पूर्व विपक्षी संख्या 2 विपक्षी संख्या 1 एवं उनकी पत्नि को बहका कर अपने गांव रूपपुरा यह कहकर ले चली गई कि स्थान बदलने से वे पुत्र के गम को भुला सकेंगें एवं विपक्षी संख्या 1 के जाने के पश्चात भी सारी खेतीबाडी प्रार्थीगण ही संभाल रहे है।

यह कि विपक्षी संख्या 2 मे विपक्षी सं0 1 को बहका कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात का एक बक्षीसनामा दिनांक 03.07.2012 को लिखवाकर पंजीकृत करवा लिया एवं नामानतरण खुलवा लिया जो पूर्णतया अवैध है। क्यो कि आराजीयात पूर्वजों के वक्त की होकर पुश्तेनी है। एवं कोपार्सनर के रूप में प्रार्थीगण 2/3 हिस्सा अथवा शिवलाल जी के वारीसान के रूप में भी अनुपातित हिस्सा है। और प्रार्थीगण ही आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, किन्तु विपक्षी संख्या 2 यह धमकीया दे रही है कि वे रेकार्ड मे उसका नाम आ जाने से आराजीयात को भूमाफियों को बेचकर विवाद पैदा करेगी जिससे विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे ताफैसला वाद आराजीयात का विभाजन हुए बिना प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त में कोई दस्तान्दाजी नही करें और विपक्षी सं0 2 आराजीयात को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें। अन्यथा प्रार्थीगण को अपूर्णनीय खति होगी। प्रार्थीगण बरबाद हो जायेगें ओर मोके पर अनावश्यक लडाई झगडे और विवाद होगें और मुकद्मेंबाजी बढेगी।

यह कि सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्यो कि प्रार्थीगण ही आराजीया पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे इस वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त में कोई दस्तान्दाजी नहीं करें एवं आराजीयात को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश होने पर बाद जॉच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, मूल दावा पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा ने पेश कर इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन अपने जवाब में इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक गलत होने से अस्वीकार है। तथा कलम संख्या दो आंशिक सही व आंशिक गलत है यह तथ्य अवश्यक सही है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या एक की पुत्रवधु एवं पोत्रियां है लेकिन वे अप्रार्थी के परिवार की सदस्य नहीं रही है विपक्षी संख्या एक का पुत्र शिवलाल था जिसका देहान्त हो चुका है विपक्षी का उक्त पुत्र शिवलाल विपक्षी/प्रतिवादी संख्या एक के सगे भाई घीसालाल के गोद चला गया था जिससे वह विपक्षी/प्रतिवादी संख्या एक के परिवार का सदस्य नहीं रहा एवं इसी कारण प्रार्थीगण भी अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक के परिवार के सदस्य नहीं रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन भी प्रार्थीगण ने गलत लिखी है प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन में अंकित आराजीयात केवल अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक की ही जायदाद है कानून के मुताविक यह सम्पति विपक्षी संख्या एक की स्वअर्जित है क्यो कि सम्पति पर विपक्षी संख्या एक का ही हक व अधिकार है यह सम्पति जब विपक्षी संख्या एक ने प्राप्त की तब विपक्षी/प्रतवादी संख्या एक के परिवार में प्रार्थी संख्या एक का पति एवं विपक्षी/प्रतिवादी संख्या एक का पुत्र शिवलाल एवं विपक्षी संख्या दो की पुत्री मांगीबाई दोनो का ही जन्म भी नहीं था। चूंकि यह सम्पति विपक्षी संख्या एक के खाते में हक व अधिकार में 60 वर्षो से चली आ रही है इसलिए इस सम्पत्ति पर विपक्षी संख्या एक का स्वअर्जित सम्पत्ति पर मुताबिक ही कानूनी अधिकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चार भी प्रार्थीगण ने गलत लिखी है, शिवलाल जो प्रार्थी संख्या एक का पति व अनय का पिता है वह गोद चला गया था इसलिए वह विपक्षी संख्या एक के संयुक्त परिवार का सदस्य भी नहीं रहा है प्रार्थीया व उसके बच्चे सभी ग्राम मडावदा रहते है वाद वर्णित सम्पति पर कब्जा विपक्षी संख्या दो का है एवं वही इस सम्पति को सम्भालती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पांच गलत होने से अस्वीकार है विपक्षी संख्या एक को किसी ने भी बहलाया, फूसलाया नहीं है विपक्षी संख्या एक वृद्ध है विपक्षी संख्या दो का विवाह रूपपुरा में हुआ यह विपक्षी संख्या एक की पुत्री है अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक वृद्ध हो चुका है स्वयं भोजन बनाने खाने की स्थिति में नहीं है। वृद्धावस्था रोग से शरीर कमजोर भी हो चुका है

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगॅू (चित्तौडगढ़)

...ए अपनी इच्छा से अपनी पुत्री के पास रह रहा है चन्दाखेडी में स्थित आराजीयात विपक्षी ...ख्या दो के स्वामित्व व अधिकार में बक्षीशनामा से प्राप्त हुई है इस पर विपक्षी /प्रतिवादी संख्या ...दो का ही हक व स्वामित्व है एवं वही इस सम्पत्ति की सारसंभाल करती है कब्जा भी प्रतिवादी संख्या दो का ही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या छः प्रार्थीगण ने गलत लिखी है विपक्षी संख्या एक को किसी ने भी बहकाया,फुसलाया नहीं विपक्षी संख्या एक स्वयं मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ्य है पूर्ण रूप से प्रज्ञावान है विपक्षी/प्रतिवादी संख्या एक ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व सूझबूझ से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित सम्पति को विपक्षी/प्रतिवादी संख्या एक ने अपनी इच्छा से विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जरिये बक्षीशनामा दान में दी है एवं विपक्षी संख्या एक द्वारा वर्णित सम्पत्ति का कब्जा विपक्षी संख्या दो को दिया है तथा विपक्षी संख्या दो ने जरिये दानपत्र वर्णित सम्पति को प्राप्त करने में सहमति प्रदान कर बक्षीश (दान) मे प्राप्त सम्पत्ति को स्वीकार की है एवं कब्जा प्राप्त किया, प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा विपक्षी / प्रतिवादी संख्या दो का है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या सात प्रार्थीया ने गलत लिखी है अस्वीकार है प्रार्थीगण का इस सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार है यह सम्पत्ति पूर्ण रूप से विपक्षी/ प्रतिवादी संख्या एक की सम्पत्ति है जिससे विपक्षी प्रतिवादी संख्या एक ने विपक्षी संख्या दो को दान में जरिये पंजीकृत बक्षीशनामा मे दे दी है वैसे प्रार्थी संख्या एक का पति व अन्य का पिता शिवलाल चूंकि गोद चला गया था इसलिए इस सम्पति का एक मात्र वारिस भी विपक्षी संख्या दो ही बनती है परन्त भविष्य में कोई कानूनी अडचन पैदा नहीं हो एवं प्रार्थीगण भी भविष्य में विपक्षी संख्या दो को परेशान व प्रताडित कर सकते है, इसलिए विपक्षी संख्या एक ने भविष्य की उलझनों से विपक्षी संख्या दो को बचाने के वास्ते ही पंजीकृत बक्षीशनामा के जरिये अपनी समस्त सम्पत्ति विपक्षी संख्या दो को दान में देकर कब्जा विपक्षी संख्या दो का करा दिया , विपक्षी ने भी दान से प्राप्त सम्पत्ति को स्वीकार किया व स्वामित्व हक व कब्जा विपक्षी संख्या दो का ही है। सभी सम्पत्ति पर उपयोग उपभोग भी विपक्षी संख्या दो ही कर रही है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र विपक्षी का प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि मांगीबाई ने खुद के बच्चे को परथू के गोद रखना चाहा, जबकि कान्ता के 3 बच्चे है। परथू ने कलम संख्या 3 में वर्णित आराजीयात को मांगीबाई के नाम पर गिफ्ट कर दिया , यह मामला 2012 को है, गिफ्ट डीड के अनुसार मांगीबाई खातेदार हो चुकी है। पैतृक सम्पत्ति है, कोई विवादित नहीं है। इण्डियन एडोप्शन एक्ट धारा 16 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मकान को लेकर सिविल कोट में दावा चला जो दावा नोट प्रेस किया गया है इसमें कहा कि शिवलाल 30 वर्ष की आयु में गोद गया। परथू जी ने अपनी सम्पति इसलिए गिफ्ट कर दी क्यो कि बहु उनकी बात नहीं मानती थी , यह कृषि आराजी पैत्रिक है , धीसा जी जो आई वह रजिस्टर्ड सेलडीड से क्रय करने से आयी है। मेरे द्वारा न्यायिक उद्रहण डीएनएस 2008 पेज 875 व 2011 पेज 1386 प्रस्तुत की जा रही है। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुश्तैनी सम्पत्ति होने से स्वीकार फरमाते हुए विपक्षी को उक्त कृषि आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जे में प्रवेश नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी श्री सी.पी.शर्मा ने निवेदन किया कि परथू के पुत्र शिवलाल व पुत्री मांगीबाई है। शिवलाल की मृत्यु हो चुकी है। यह कृषि भूमि परथू की स्वअर्जित सम्पति है, जो परथू के नाम पर थी, परथू की मृत्यु हो गयी । वैसे भी मांगीबाई का 1/2 हक तो परथू से बनता ही है। जो गिफ्ट डीड है वह एक पंजीकृत दस्तावेज है। साक्ष्य अधिनियम 115 व 118 का अवलोकन फरमावें। अपने कथन से विमुख नहीं हो सकता, अफीम के पट्टे में शिवलाल ने स्वीकार किया कि वह घीसालाल का पुत्र है। वर्तमान में मांगीबाई ही खातेदार है, जिनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं है, ना ही सुविधा का सन्तुलन ही है। तथा प्रार्थीगण को इस कृषि आराजी से कोई आर्थिक क्षति नहीं होती हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होता है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्रण का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन विन्दुओं पर निस्तारण किया जाना होता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा चन्दाखेडी प0ह0 शादी सम्वत 2067 से 2070 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अकित आराजी संख्या 129, 134, 137, 220, 240, 263, 403,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

[illegible] 410, 543, 587 [illegible] कीता 10 कुल रकबा [illegible] भूमि के खातेदार परथू पिता धन्ना धाकड [illegible] खातेदार दर्ज अंकित है। [illegible] दिनांक [illegible] 2012 [illegible] अपूर्ण [illegible] भूमि की [illegible] हुई। [illegible] मौजा चन्दाखेडी [illegible] पृथ्वीराज का नाम दर्ज है। [illegible] कान्ताबाई पति का नाम शिवलाल [illegible] शिवलाल पुत्र पृथ्वीराज के नाम से जारी किया हुआ है। परिवार का राशन कार्ड में भी शिवलाल पिता पृथ्वीराज का नाम दर्ज अंकित है। कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जिसमें श्रीमती कान्ताबाई धाकड जो कि शिवलाल पिता पृथ्वीराज धाकड निवासी चन्दाखेडी जिनकी मृत्यु हो चुकी है की पत्नी है। इनके तीन लडकियां है। [illegible] विधवा के रूप में चन्दाखेडी में ही [illegible] निवास कर रही है। शिवलाल जी धाकड की चल अचल सम्पति पर इनका हक पत्नी होने के नाते है। यह प्रमाण पत्र [illegible] द्वारा जारी किया है जो दिनांक 08.10.2014 को दिया गया है।

नकल [illegible] संख्या 288 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें घीसालाल छोगा प्रथा पिता धन्ना धाकड द्वारा श्री शिवलाल पिता पृथ्वीराज धाकड काको उनके हिस्से की जमीन आराजी संख्या 361, 410, 543 का विक्रय किया है तथा घीसालाल पिता धन्ना द्वारा श्री शिवलाल पिता पृथ्वीराज धाकड को आराजी संख्या 413, 588 मौजा चंदा खेडी की आराजी का विक्रय किया गया है। शिवलाल द्वारा क्रय की गई भूमि प्रार्थना पत्र वर्णित परथू के खातेदारी की भूमि से अलग की भूमि है। पत्रावली में विक्रय पत्र आराजी की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रथा पिता धन्ना जी धाकड द्वारा श्री [illegible] पिता बालू व सीताराम पिता धूंगा धाकड को आराजी संख्या 361 रकबा 0.[illegible] हैक्टर भूमि में निहित हिस्सा 1/3 का विक्रय किया गया है। छायापति नकल जमाबंदी मौजा चन्दाखेडी की कृषि आराजी की है जिसमें घीसा छोगा प्रथा पिता धन्ना धाकड सा0देह खातेदार के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 361, 410, 543 कीता–3 रकबा 0.979 हैक्टर भूमि में घीसा द्वारा विक्रय से उनका सम्पूर्ण हिस्सा शिवलाल पिता पृथ्वीराज धाकड को विक्रय किया जिसका नोट अंकित है। तथा श्री घीसा पिता धन्ना धाकड के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 587 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि घीसा के बजाय शिवलाल पिता पृथ्वीराज धाकड के नाम पर दर्ज किये जाने का नोट है। पत्रावल में सूचना के अधिकार के तहत अधिवक्ता द्वारा चाही गई नकल जिसमें मृतक घीसालाल पिता धन्नालाल धाकड के अफीम का पट्टा शिवलाल मुतबन्ना घीसालाल (पिता परथू उर्फ पृथ्वीराज) के नाम जारी अफीम पट्टा की प्रमाणित प्रति, पट्टा प्राप्ती के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, दिनांक 8.10.2011 को परथू पिता धन्ना धाकड द्वारा शिवलाल दत्तक पुत्र मृत घीसालाल को कृषि लीज पर दी गई उस अनुबन्ध पत्र की प्रमाणित प्रति, वर्तमान में कांताबाइ विधवा शिवलाल धाकड निवासी चन्दाखेडी को जारी अफीम पट्टा की प्रमाणित प्रति व शिवलाल दत्तक पुत्र घीसा की अफीम पत्रावली की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिया चाही गई है। शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर शिवलाल पिता पृथ्वीराज धाकड द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसमें अंकित किया है कि मेरे काका घीसालाल जी के कोई संतान नहीं होने से मै शपथकर्ता मेरे काका घीसालाल जी के गोद गया हूँ। अंकित किया है।

छायाप्रत अनुबन्ध पत्र बाबत लीज (किराया) कृषि भूमि जो कि परथू पिता धन्ना धाकड द्वारा श्री शिवलाल पिता मुतबन्ना घीसा जी जाति धाकउ को आराजी संया 819 रकाब 0.4680 हैक्टर रूपये 20,000 में दी है।का स्टाम्प लिखा गया है। इस प्रार्थना पत्र के मूल वाद में एक प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियन 14 जा.दी. व 151 सी.पी.सी के तहत लगाया गया है उसकी छायाप्रति व उसके जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति है, जिसमें यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण को यह आदेश दिया जावे कि उनके कब्जे में शिवलाल गोदपुत्र घीसालाल धाकड निवासी चंदाखेडी के नाम का अफीम का पट्टा है जिसे प्रार्थीगण न्यायालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें। जिसमें इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को पट्टा शिवलाल गोदपुत्र घीसालाल धाकड के नाम जारी एवं वादीया कान्ताबाई विधवा पत्नी शिवलाल धाकड के नाम पर जारी को न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिनांक 24.12.2014 को दिया गया है। प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का मूल वाद में प्रस्तुत किया कि वादीया के नाम की मूल अनुज्ञप्ति मूल प्रस्तुत है जबकि पति के नाम की कोई अनुज्ञप्ति वादीया के पास नहीं है काफी प्रयास के बाद भी कही नहीं मिली है जिससे प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

जिला अफीम अधिकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी भीलवाडा द्वारा अधिवक्ता कैलाश चन्द्र धाकड को सूचना के अधिकार अधिनियम् 2005 के अंतर्गत वांछित जानकारी बाबत पत्र लिखा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

[illegible] जो जानकारी दी गई उसमें घीसालाल पिता धन्ना के नाम पर जारी पट्टे के सम्बन्ध में वर्ष [illegible]-08 से 2006 से 07 तक के खसरे की प्रमाणित प्रति, शिवलाल दत्तक पुत्र घीसालाल के नाम [illegible] जारी पट्टे के संबंध में फसल वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के खसरे की प्रमाणित प्रति व मांगी पत्नी शिवलाल [illegible] के नाम पर जारी पट्टे के सम्बन्ध में फसल वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के खसरे की प्रमाणित प्रति भिजवाई है। तथा पत्र में अंकित किया कि घीसालाल पिता धन्ना के नाम की आबंटन के पट्टे की प्रति मूल ही पट्टाधारक के पास ही रहता है इसकी कोई कार्यालय प्रति नहीं बनाई जाती है। छायाप्रतियां जमाबंदीयों की पेश की जिनका भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। पत्रावली में छायाप्रति बयान गवाह पृथ्वीराज पिता धन्ना जी [illegible] निवासी संथावेडी [illegible] के बयानों की प्रति पेश की गई जिसमें अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की जिरह का [illegible] अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि मैं पिछले पांच सालों से [illegible] रह रहा हूं। मेरे एक लड़का था, वह शांत हो गया है उसका लड़का शिवलाल था शिवलाल के तीन लड़कीयां ममता संजु और पूजा है जो मेरी पोतियां लगती है। मैं तीनों संथावेडी रहती है। संथावेडी वाले मकान का पड़ोस बताया, यह मकान बयानकर्ता द्वारा खरीदा जाना बताया है। बयानों मे बताया कि शिवलाल जब मरा उसके दो पहले उसे गोद रखा था। उसके समय घीसालाल की पत्नि थी। उस समय शिवलाल की उम्र 30 साल की थी मैं और मेरा भाई घीसालाल शिवलाल के साथ ही रहता था। शिवलाल को मरे 10-12 साल हो गये। बयनों में यह भी बताया गया है कि शिवलाल के पट्टा नहीं था घीसालाल के नाम का जो पट्टा था वह शिवलाल के नाम पर आया था। इसके अतिरिक्त और अन्य सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है, प्रकरण स्पष्ट है, कि जो विवादित कृषि आराजीयात है वह वर्तमान में मांगीबाई यानि परथू की पुत्री के नाम पर है, वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण कृषि आराजी को उनकी पुश्तैनी आराजी होना बताते है जिस पर प्रार्थीगण का अधिकार है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत न्यायिक उदहरण डीएनजे (सु.कोर्ट) पेज 875 से 887 को अवलोकन किया जिसमें पुश्तैनी सम्पत्ति को गिफ्ट नहीं किया जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उदहरण आर आर टी 2016 पेज 637 प्रस्तुत की है जिसमें " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खाजिर किया– समवर्ती निष्कर्ष अप्रार्थी नं. 4 ने अप्राथी नं. 1 से 3 से भूमि कय की और वह भूमि का रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है प्रार्थीगण के पक्ष में न तो सुविधा का सन्तुलन न अपूर्णनीय क्षति है निर्णित निगरानी खारिज की। अधिवक्ता विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उदहरण डीएनजे–2011 पेज 1388 से 1387 की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा घोषणा विभाजन एवं अन्य अनुतोष हेतु वाद राजस्व अपील प्राधिकारी ने एस डी ओ द्वारा पारित आदेा को उपान्तरित किया और अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की तथा भूमि को अन्तरित करने से प्रतिवादीगण को पावन्द किया बोर्ड ने आदेश यथावत रखा प्रश्नगत भूमि क्यो स्वअर्जित है या मौरूसी , विचारण के समय निर्णित किया जायेगा, वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है–एस डी ओ ,द्वारा पारित आदेश अवैधता से पीडित है पूर्ववर्ती एस डी ओ ने वहस सुनी और स्थानान्तरण हो गया , आदेश पारित करने से पूर्व एसडओ ने बहस नहीं सुनी – एस डी ओ द्वारा पतिर आदेश अनुचित है एवं अन्यायोचित है पारित आदेश अस्पप्ट भी था कारण नहीं दिये निर्णित एस डी ओ द्वारा पारित आलोच्य आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा सही अपास्त किया गया और वोर्ड ने सही पुप्ट किया।" प्रस्तुत आर आर टी 2021 (1) पेज 27 में दर्शाया है " Transfer of land was voidable and the cicil cour had jurisdiction to try the suit though the subject matter was agricultural land No bar nuder Section 207 of Rajasthan Tenancy Act is attracted Held Judgent is set aside and case remanded back to decide on merits.

इन सभी के अवलोकन एवं मनन किये जाने पर पाया जाता है कि विवादित कृषि भूमि पर क्या प्रार्थीगण का अधिकार भूमि पुश्तैनी होने से होता है या नहीं होता है, क्यो प्रार्थीगण के पिता शिवलाल जो मांगीवाई विपक्षी संख्या 2 का भाई था उसका व उसके वारिसान का इस भूमि में अधिकार है या नहीं , क्यो शिवलाल उनके काका घीसालाल के गोद पुत्र रहा है, इस सम्वन्ध मे उनके गोद चले जाने का दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। शिवलाल के गोदपुत्र जाने की विधिवत रस्म की गई या नहीं की गई क्यो लिखा पढी हुई या नहीं हुई, शिवलाल व उसके परिवार को गोद पिता की सम्पत्ति में अधिकार है या उनकी पुश्तैनी दादा की सम्पत्ति में अधिकार है, क्यो पुश्तैनी कृषि आराजी की गिफ्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इन सभी तथ्यों को मूल वाद में देखा जाकर ही निर्णय किया जाना हमारे विचारण से न्यायसंगत होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध जारी करने का [illegible] है उसमें विपक्षी मांगीबाई उक्त कृषि आराजी की खातेदार है, यदि इन विवाद के चलते उक्त वर्णित कृषि आराजी को खातेदार खुर्द बुर्द कर देते है तो वादीगण /प्रार्थीगण का इस न्यायालय में वाद लाना ही व्यर्थ हो जायेगा। विवाद अधिक बढने की संभावना होगी, ऐसी स्थिती में विवादित कृषि भूमि के रिकोर्ड की व मौके की यथास्थिती रखा जाना हमे न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध किया जाता है।

2– सुविधा का सन्तुलन ::–

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात मौजा चन्दाखेडी प0ह0 शादी सम्वत 2067 से 2070 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अंकित आराजी संख्या 129, 134, 137, 220, 240, 263, 403, 415, 416, 456, 517, 518, 550, 551, 588, 590, 819, 968/776 कीता–18 कुल रकबा 3.4150 हैक्टर भूमि के खातेदार परथू पिता धन्ना धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है।जमाबंदी मे नोट अंकित है कि ना.सं. 701 निर्णय दिनांक 05.07.2012 दान से सम्पूर्ण खाता बक्षीस से श्रीमती मांगीबाई पति रामनारायण (पिता परथू) धाकड सा. रूपपुरा के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि को प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी कृषि आराजी होना बाताते है तथा इस भूमि में उनका अधिकार होना बताते है, जबकि विपक्षीगण द्वारा यह कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता शिवलाल जो परथू के पुत्र होकर उनके काका धीसा जी के गोद चले गये थे, क्यो प्रार्थीगण उनके गोद पिता की भूमि का उपयोग उपभोग कर पाने या इस पुश्तैनी कृषि भूमि में अपना अधिकार घोषित करा पाने के अधिकारी है यह सभी तथ्य मूल वाद में ही निर्णित किये जावेगें। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपना अपना कब्जा होकर काश्त किया जाने का कथन करते है। विपक्षीया मांगीबाई भूमि की खातेदार है तथा कृषि भूमि के इस विवाद के चलते यदि खातेदार द्वारा खुर्द बुर्द की जाती है तो प्रार्थीगण का न्यायालय मे वाद लाया जाना व्यर्थ होगा तथा उन्हें आर्थिक क्षति होने की भी संभावना रहेगी, जबकि न्यायालय विवाद को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक नही बढाते हुए उपरोक्त कृषि भूमि के रिकोर्ड की तथा मौके की यथास्थिति रखा जाना न्यायसंगत समझता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3– अपूर्णनीय क्षति ::–

मौजा चन्दाखेडी प0ह0 शादी सम्वत 2067 से 2070 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अंकित आराजी संख्या 129, 134, 137, 220, 240, 263, 403, 415, 416, 456, 517, 518, 550, 551, 588, 590, 819, 968/776 कीता–18 कुल रकबा 3.4150 हैक्टर भूमि के खातेदार परथू पिता धन्ना धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है।जमाबंदी मे नोट अंकित है कि ना.सं. 701 निर्णय दिनांक 05.07.2012 दान से सम्पूर्ण खाता बक्षीस से श्रीमती मांगीबाई पति रामनारायण (पिता परथू) धाकड सा. रूपपुरा के नाम दर्ज हैं। वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी भूमि होने से उनका अधिकार होता है या नहीं? क्यो प्रार्थीगण उनके पिता के गोदपिता की कृषि भूमि पर ही अधिकार रखते है, इन सभी तथ्यों का निस्तारण मूलवाद में ही किया जाना है, जबकि उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदार विपक्षी मांगीबाई पुत्री परथू है, यदि खातेदार मांगीबाई द्वारा भूमि इस विवाद के चलते या इस न्यायालय में विचारणीय वाद के चलते खुर्द कर दी तो प्रार्थीगण का वाद पत्र लाया जाना व्यर्थ होगा और यदि भूमि पुश्तेनी होने से प्रार्थीगण का उक्त भूमि में अधिकार है तो उन्हें निश्चित ही आर्थिक क्षति होगी। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

इस प्रकार न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने एवं इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन एवं मनन किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीनों मुख्य बिन्दुओं का निस्तारण प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पावंद किया जाता है कि वे मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी की कृषि आराजी संख्या 129, 134, 137, 220, 240, 263, 403, 415, 416, 456, 517, 518, 550, 551, 588, 590, 819, 968/776 कीता–18 कुल रकवा 3.4150 हैक्टर भूमि के रेकार्ड व मौके की यथास्थिती कायम रखें। कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ